



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

पत्रांक - 30/11/2019/362
संदर्भ सेवा में

झाँसी (उ.प्र.) 284128

दिनांक 4/6/19

प्रबन्धक/सचिव
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय,
उरई, जालौन।

विषय:- जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्वयंसेवक पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र सं० सम्ब०-1146/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्वयंसेवक पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिये कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 25 मई 2019 में निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत वेतन भुगतान का विवरण एवं आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शिक्षकों के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रतियों, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा कार्यालयी टीप का परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्वयंसेवक पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है :-

1. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई/विश्वविद्यालय के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षाओं में सी०सी०टी०पी० कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश सं० 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं० 81859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं० 522/सत्तर-2-2013-2(850)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

K MP



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ.....

दिनांक.....

6. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटस्थित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य ठिथिया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
7. सम्बन्धित महाविद्यालय को 100 रूपयों के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षाओं व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।
8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
5. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव